न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0), सुपौल

एस0सी0/एस0टी0–116/2025
एस0सी0/एस0टी0 थाना कांड सं0– 120/2025
R.B. (SC/ST) No. 17/2026

	साजन सहनी..... अभियुक्त बनाम् बिहार सरकार.....विपक्षी	
16/04/26	कराधीन अभियुक्त साजन सहनी की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता नयन कुमार प्रार्थी अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई भी एक अन्य आपराधिक इतिहास है जिसमें अभियुक्त जमानत पर है। प्रार्थी अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उसके विरूद्व लगाए गए सभी आरोप बनावटी एवं मनगढंत हैं तथा उसे स्थानीय राजनीति के कारण झूठा फंसाया गया है। लगाये गये आरोप में केवल धारा 76 बी0एन0एस0 का आरोप गैरजमानतीय है तथा यह आरोप मुकदमा को गंभीर बनाने के लिए जोड़ा गया है। प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप आकर्षित नहीं होता है। प्राथमिकी एक सप्ताह विलंब से दर्ज कराया गया है और इसका कोई संतोषप्रद कारण नहीं दिया गया है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 24/03/26 से काराधीन है तथा वो सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार हैं। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्तग को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री सत्य नारायण मेहता द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। सूचक दुखो देवी की उपस्थिति हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। नोटिस की छायाप्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस पृष्ठांकन के साथ दाखिल की गयी है परंतु सुनवाई के दौरान सूचिका उपस्थित नहीं हुई। प्रस्तुत वाद सूचक माधो त्रृषिदेव के लिखित आवेदन के आधार पर दर्ज किया गया है। सूचक का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 31/08/2025 को रात्रि में उसकी पुतोहु रूपा देवी पड़ोसी राजू सहनी के साथ पकड़ी गयी। सुबह में ग्रामीण पंचों के समक्ष में उसकी पुतोहु बोली कि इस घर में नहीं रहूँगी, अब राजू सहनी के साथ ही रहूँगी और राजू सहनी ही आज से मेरा पति रहेगा और राजू सहनी बोला कि रूपा देवी ही मेरी पत्नी रहेंगी और मेरे घर में रहेगी। ग्रामीण पंचों के समक्ष राजू सहनी ने रूपया देवी को लेकर अपने घर चला गया। दिनांक 01/09/25 को दिन में करीब 11 बजे सभी अभियुक्तगण सूचक के दरवाजे पर आये और अभद्र गाली देने लेगे और बोलने लगे कि मुसहर जाति की मेरे घर में कैसे रहेगी। उस पर सूचक बोला कि मेरी पुतोही और राजू सहनी एक अपनी राजी से गया है तब मंगला सहनी बोला कि यह मुसहर बिना पिटाई का नहीं मानेगा। तब उपरोक्त सभी अभियुक्तगण मिलकर उसके साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। हल्ला सुनकर उसकी पतोहु पत्नी एवं घर के सदस्य आये और बीच बचाव करने लगे। तब सुरेन्द्र सहनी और हरेन्द्र सहनी दोनों उसकी पुतोहू का झोंटा पकड़ कर पटक दिये और बोले कि मुसहरनी को नंगा करके गांव में घुमाओ और पुतोहू का कपड़ा फाड़ दिया। उभय पक्ष को सुना। अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक एवं उसकी पत्नी एवं पुतोहु तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए मारपीट करने का आरोप है। अभिलेख से स्पष्ट है कि दिनांक 01/09/25 के घटना को लेकर दिनांक 08/09/25 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है और इस विलंब का कोई संतोषप्रद जबाव नहीं दिया गया है। प्रार्थी अभियुक्त के जमानत आवेदन के कंडिका 03 के अनुसार उसके विरूद्ध एक अन्य आपराधिक इतिहास है जिसमें अभियुक्त जमानत पर है। वाद के अन्य सह अभियुक्तों	लगातार...

16/04/26 लगातार...	को दिनांक 10/02/26 को पूर्व में जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 24/03/26 से काराधीन है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी अभियुक्त साजन सहनी की ओर से दाखिल जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। तद्नुसार प्रार्थी अभियुक्त की ओर से मो0 10,000/– रूपये के बंध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। (दिलीप कुमार सिंह) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह– विशेष–न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0), सुपौल	